



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062022-236277
CG-DL-E-03062022-236277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2470]
No. 2470]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 2597(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, पूरे रबड़ और पूरे पॉलीमरिक सामग्री और इनके घटकों से निर्मित फुटवेयर(गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, को विखंडित करती है, उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप करती है।

[फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 3858(अ) तारीख 28 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. 4378(अ) तारीख 4 दिसंबर, 2020 और का.आ. 2646(अ) तारीख 30 जून, 2021 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)****ORDER**

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 2597(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby rescinds the Footwear made from all- Rubber & all Polymeric material and its components (Quality Control) Order, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. P-27025/4/2020 - Leather]
RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3858 (E), dated the 28th October, 2020 and subsequently amended vide numbers S.O. 4378 (E) dated the 4th December, 2020 and S.O. 2646 (E), dated the 30th June, 2021.